

आदेश

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत भटकोट से ढौन-रीठाचौरा तक प्रस्तावित मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष सिविल भूमि को नियमानुसार क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के संबंध में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के पत्रांक 2814/18 सी. दिनांक 01-12-201 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव पर तहसीलदार, सल्ट के पत्रांक 125/क्ष0पू0वृ0रो0-प्र0/2015, दिनांक 30-11-2015 के द्वारा क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि के अभिलेखों सहित उपलब्ध कराई गई आख्या के अनुसार क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु ग्राम-मसिणयाबोंज, पटवारी क्षेत्र-झिमार, तहसील-सल्ट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-85 की श्रेणी-10(4) " बंजर नाकाबिल आबाद " के पैमायसी खेत न0 331 रक्वा-1.247 है0, खेत न0-345 रक्वा-1.133 है0, खेत न0 348 रक्वा-0.361 है0, खेत न0-358 रक्वा-0.150 है0, खेत न0-78 माथे-0.049 है0 इस प्रकार कुल-2.940 हैक्टर सिविल भूमि को उपरोक्त मोटरमार्ग के निर्माण के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, सल्ट कृ0 तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

Diary No. 178
File No. 18470
Date 11.12.16

जिला अधिकारी, अल्मोड़ा
दिनांक 11/12/16

ह0/-
(सविन बंसल)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा
संख्या 1942 / ग्यारह-22/2015-16, दिनांक 23 दिसम्बर, 2015

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत ।
- 3- उप जिलाधिकारी, सल्ट जनपद-अल्मोड़ा ।
- 4- तहसीलदार, सल्ट को उपरोक्तानुसार अनुपालन किये जाने हेतु ।

प्राप्त संख्या 18 सी 18
दिनांक 11/12/16

प्रभारी अधिकारी,
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा